



No. 70/Acd/SC/BC Sch/2018-19/

Dated: 27.12.2018

NOTICE

Subject : To apply online SC/BC Scholarship for the Session 2018-19 & Mapped the Aathor Card with Saving Bank Account No.

The Haryana Government has issued a Notification which is available on University website i.e. www.ymcaust.ac.in for SC and BC students for award of Post Matric Scholarship for the session 2018-19. The students of SC and BC categories are required to submit their applications online on the website given in the notification i.e. <http://www.hryschbschemes.in> and take a printout of the same. After taking printout of online submitted form, the students are required to submit the hard copy of application form to the Academic Section alongwith all annexures which are uploaded online while submitting the application form. If the students face any difficulty for uploading the documents, they may contact Distt. Welfare Office for their districts as mentioned in the notification. They may also contact a helpline no. 0172-2707009 & Mobile No. 06284537637 given in the notification. The last date for filling of application forms is **15.02.2019**.

The SC and BC students are directed to read the instructions of the notification on university website carefully before fill up the form online.

NOTE : From the session 2018-19, payment of SC/BC Scholarship will be done through "Direct Benefit Transfer" (DBT) only. Only those students will be granted the scholarship whose Saving Bank A/c No. "**mapped**" with their Aadhar No. So, all SC/BC students are directed to mention only that Saving Bank Account No. in the application form that is linked with their Aadhar Card.

FW 27-12-18

Dy. Registrar (Academic)

ALL NOTICE BOARDS

1. All Deans & Chairpersons (Mech/Civil/ECE&EIC/CE&IT/BCA,MCA&BSc.(Animation)/BBA&MBA/Dean(HAS)/Chemistry,Physics&EVS/Maths/JMC.- with request that the students may kindly be informed accordingly.
2. Dean Academic Affairs – for information
3. Dr. Rajeev Saha, Web Manager is requested to put this notice on university website for information of the students upto 15.02.2019.

NOTICE BOARDS

हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग

अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के ध्यानार्थ
घर से ही भरे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन पत्र

केंद्रीय प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध-घुमन्तू जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय अनुसूचित जाति के छात्रा हेतु 2.50 लाख रुपये, विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध-घुमन्तू जातियों के (इस बारे अलग से प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर) छात्रा हेतु 2.00 लाख रुपये एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रा हेतु 1.50 लाख रुपये से अधिक न हो को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। घुमन्तू/अर्ध-घुमन्तू तथा टपरीवास जातियों में से जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की श्रेणी में शामिल नहीं हैं उन्हें भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

प्रतिवर्ष छात्रों से विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वर्ष 2018-19 में उक्त स्कीमों के अन्तर्गत छात्र अपने आवेदन पत्र ऑन-लाईन (on-line) ही भर सकते हैं। अतः हरियाणा निवासी सभी छात्रों जो विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों/मैडिकल संस्थानों व आईटीआई/आईओ जादि से डिग्री/डिप्लोमा कर रहे हैं (रेग्यूलर केंसों सहित) और स्कीमानुसार छात्रवृत्ति के पात्र हैं वे छात्र वर्ष 2018-19 की छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र घर बैठे/ऑन-लाईन (on-line) भरे। मैनुअली (Manually) भरे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किये बगैर तुरन्त ऑन-लाईन (on-line) फार्म भरे। छात्रवृत्ति पहले आओ - पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत की जाएगी। किसी को अपनी बैंक पास बुक, एटीएम, खाता नम्बर एवं प्रमाण पत्र न दें क्योंकि इनके आधार पर कोई आपके प्रमाण-पत्रों का गलत प्रयोग कर सकता है ऐसे विवाद की स्थिति में पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी। आवेदन करने से पूर्व छात्र यह सुनिश्चित कर लें कि आप ने अंतिम रूप से उस संकाय में दाखिला लेने का निर्णय ले लिया है क्योंकि एक से अधिक संकाय में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई छात्र एक से अधिक बार अलग-2 कालेजों से आवेदन करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जो छात्र अपना आवेदन पत्र भरना चाहते हैं वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान को दिनांक 15.01.2019 तक पंजीकरण करवाने हेतु कहे। केवल पंजीकृत संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र ही अपना आवेदन भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने हेतु विभागीय वेबसाइट <http://www.hryscbcschemes.in> पर आवेदन करें। बैंक लिस्ट देखना न भूलें। छात्रों को यदि स्वयं आवेदन पत्र भरने/अपलोड करवाने में कोई कठिनाई आ रही हो तो अपने जिले से सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कामजात सहित सहायता हेतु सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने/अपलोड करने हेतु विभागीय वेबसाइट दिनांक 24.12.2018 से 15.02.2019 तक खुली रहेगी। किसी भी प्रकार असुविधा की स्थिति में आप जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में तथा समाधान ना होने पर निदेशालय में स्थित हेल्प लाईन नं० 0172-2707009 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

(डा० प्रवीण कुमार, आई.ए.एस.)
महानिदेशक,

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग हरियाणा।